



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 723]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 18, 2004/श्रावण 27, 1926

No. 723]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 18, 2004/SRAVANA 27, 1926

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2004

का.आ. 933(अ).—केन्द्रीय सरकार, गोदी कामगार (रोजगार का विनियमन) नियमावली, 1962 के नियम 4 के उप-नियम (2) के साथ पठित गोदी कामगार (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 5 क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत, सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय की दिनांक 26 अगस्त, 2003 की अधिसूचना सं. का. आ. 1003(अ) के अनुक्रम में एतद्वारा भारतीय राष्ट्रीय पोतमालिक संघ के प्रतिनिधि श्री आर. के. मित्रा को, सेवानिवृत्त हो गए कैप्टन के.बी. अग्रवाल के स्थान पर, कांडला गोदी श्रमिक बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं।

[फा. सं. एल बी -13014/3/2002-यू एस (एल)]

आर.के. जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2004

S.O. 933(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 5A of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) read alongwith Sub-rule (2) of Rule 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962 and in continuation to the Notification of the Govt. of India, Ministry of Shipping No. S.O. 1003(E) dated 26th August, 2003, the Central Government hereby appoints Sh. R.K. Mitra, as a representative of Indian National Shipowners Association as a member of Kandla Dock Labour Board in place of Capt. K. B. Agarwal who has superannuated.

[F. No. LB-13014/3/2002-US(L)]

2541 GI/2004

R.K. JAIN, Jt. Secy.